न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं.9/2017

परमेश्वरी देवी पुत्री मामराज पत्नी हंसराज जाति कुम्हार निवासी सिंहमारा की ढ़ाणी सीतो गुन्नो तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) जरिये मुखत्यार आम हंसराज पुत्र चेतराम जाति कुम्हार निवासी सिंहमारा की ढ़ाणी सीतो गुन्नो तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) – अपीलार्थी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. रामकृष्ण पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. सुखीदेवी पुत्री मामराज पत्नी पवन कुमार जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। –रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 30.11.2016

उपस्थितः–

श्री रामगोपाल स्वामी अभिभाक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो. संख्या 1 व 2 एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 88, 188 के तहत

4/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पेश कर चक 7 ई छोटी के मु.न. 5 के कि.न. 6, 7, 11 से 15 की 1.681 है. भूमि का विभाजन कर वादीगण का 5/7 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 2/7 हिस्सा घोषित करने ,कब्जा दिलाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया ।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाव दावा पेश वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने तीन वाद बिन्दु कायम किये गये । सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 30.11.2016 को धारा 53 का वाद स्वीकार कर विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगाने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय गलत किया है। अपीलांट का 2.744 है. भूमि में से 1/7 हिस्सा बनता है। अधी.न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के बाहर जाकर आदेश पारित किया है। वादी रेस्पो. ने अधी.न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर रेकार्ड के बाहर जाकर निर्णय पारित किया जा सके । अधी.न्यायालय को अपीलांट के हिस्से अनुसार विभाजन के प्रस्ताव मंगाने के आदेश दिये जाने चाहिए थे । इस प्रकार अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट का 1/7 हिस्सा घोषित किया जाकर विभाजन के प्रस्ताव मंगाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय में वाद पेश होने पर जबाव दावा लेकर तनकीयात कायम की गई एवं अधी.न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पो

4/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

ने अधी. न्यायालय में वाद रा.का.अ. की धारा 53, 88, 188 का पेश किया था । अधी. न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई। अधी. न्यायालय ने धारा 53 आरटीए के तहत वाद का निर्णय किया है एवं जमाबंदी में अंकित हिस्से एवं कब्जा के अनुसार तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगाने के आदेश दिये है एवं विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अधी.न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री जारी की जानी है।ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय दिनांक 04.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर